

## भावनगर मंडल - राजभाषा विभाग

### सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1) (बी) के संदर्भ में जानकारी


उप धारा	वांछित सूचना	टिप्पणी
4(1)बी(i)	संगठन के कार्य एवं ड्यूटी का ब्योरा	भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार रेलवे बोर्ड तथा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के प्रमुख कार्य अनुवाद, प्रशिक्षण तथा कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित करना. भावनगर मंडल का राजभाषा विभाग अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य कर रहा है। मंडल पर गठित 08 स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समितियों, 01 मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें समय पर आयोजित करवाना, 13 हिंदी पुस्तकालयों का सुचारु संचालन, हिंदीदिवस/हिंदी सप्ताह/राजभाषा पखवाड़े का आयोजन करना। मंडल राजभाषा संगठन चार्ट के लिए 'अनुलग्नक-1' देखें।
4 (1) (बी)(ii)	राजभाषा अधिकारी एवं कर्मचारियों के कर्तव्य एवं शक्तियों की जानकारी	<b>राजभाषा अधिकारी के कर्तव्य:-</b> (1) अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद का काम और उसकी वैटिंग। (2) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों तथा हिन्दी प्रशिक्षण और राजभाषा संबंधी आदेशों की जानकारी कराना और उनके कार्यान्वयन में मदद करना। (3) राजभाषा अधिनियम उपबन्धों के तथा हिन्दी प्रशिक्षण और राजभाषा संबंधी आदेशों का अपने विभाग और उसके अधीन कार्यालयों, अनुभागों, कम्पनियों, आदि में यथोचित रूप से अनुपालन कराना। (4) विभाग या कार्यालयों के राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव के रूप में काम करना और उसकी बैठक समय-समय पर बुलाना, उन बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त तैयार करना तथा बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का समन्वय करना। (5) हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर उचित सुझाव देना और इस बारे में राजभाषा विभाग से उचित माध्यम द्वारा सम्पर्क रखना। (6) सहायक और संदर्भ साहित्य तैयार करना, हिन्दी कार्यशालाओं का प्रबंध करना और अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी सीखने तथा सरकारी कामकाज में उसका इस्तेमाल करने में मदद देना। (7) इनके कार्यक्षेत्र में आने वाले स्टेशनों, कारखानों तथा मंडलेतर कार्यालयों में संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण-पूर्ववर्ती/अनुवर्ती कार्रवाई तथा निरीक्षण से संबंधित अन्य कार्य। (8) इनके कार्यक्षेत्र में आने वाले स्टेशनों/कारखानों तथा मंडल से इतर कार्यालयों में हिंदी पुस्तकालयों की व्यवस्था, पुस्तक चयन समिति का गठन और उसकी बैठकें आयोजित करना तथा समिति की सिफारिशों के अनुरूप हिंदी पुस्तकों की खरीद। (9) तिमाही प्रगति रपट, राजभाषा शील्ड, पुरस्कार, प्रोत्साहन योजनाएं, नौति और कार्यान्वयन रपटें आदि। <b>राजभाषा कर्मचारियों के कर्तव्य-</b> राजभाषा अधिकारी द्वारा जारी ड्यूटी सूची के अनुसार राजभाषा के कार्यों का अनुवाद, प्रशिक्षण तथा कार्यान्वयन संबंधी कार्य करना।
4 (1) (बी)(iii)	पर्यवेक्षक चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में जिस प्रक्रिया को अमल में लाया जाता है।	कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित राजभाषा अधिनियम/ राजभाषा नियम 1976 और गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्य किया जाता है। सामान्य प्रक्रियात्मक निर्देश भी समय-समय पर दोहराए जाते हैं। कोड और मैनुअल के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें:-
4 (1) (बी)(iv)	कार्य निष्पादन में स्थापित मानक।	<a href="https://rajbhasha.gov.in/">https://rajbhasha.gov.in/</a>
4 (1) (बी)(v)	राजभाषा विभाग में रखे जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश नियमावली तथा अभिलेख इत्यादि।	नियम निर्देश, अधिनियम आदि पूर्व से ही प्रकाशित हैं और रेलवे कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग में हैं। निर्देशों/नीति के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:- <a href="https://rajbhasha.gov.in/">https://rajbhasha.gov.in/</a>

4 (1) (बी)(vi)	दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण जो रका जाता है या नियंत्रण में है।	रेलवे बोर्ड नीति परिपत्र, बोर्ड और अन्य विभागों के महत्वपूर्ण पत्र, जेपीओ समझौते आदि के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें-  <a href="https://indianrailways.gov.in/">https://indianrailways.gov.in/</a>  <a href="https://rajbhasha.gov.in/">https://rajbhasha.gov.in/</a>
4 (1) (बी)(vii)	किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति निर्धारित करने या उसके क्रियान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यगण के साथ सलाह करने के लिए या उसके द्वारा अभ्यावेदन करने के लिए विद्यमान हैं।	रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार वाणिज्य विभाग द्वारा निपटाया जाता है।
4 (1) (बी)(viii)	बोर्डों, परिषदों का विवरण, समितियाँ और अन्य निकाय जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हों इसके भाग के रूप में गठित किया गया है या नहीं उन बोर्डों, परिषदों की बैठक, समितियाँ और अन्य निकाय जनता के लिए खुले हैं या इस तरह की बैठक की मिनट्स के जनता के लिए सुलभ हैं	रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार वाणिज्य विभाग द्वारा निपटाया जाता है।
4 (1) (बी)(ix)	प्रत्येक अधिकारीगण और कर्मचारीगण द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके विनियमों में मुवआवजा सम्मिलित है।	रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार कार्मिक विभाग द्वारा निपटाया जाता है।
4 (1) (बी)(x)	प्रत्येक एजेंसी को आवंटित किया गया बजट जिसमें सभी योजनाएं, प्रस्तावित व्यय और संवितरण ब्यौरा दिया गया है।	रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार लेखा विभाग द्वारा निपटाया जाता है।
4 (1) (बी)(xi)	सब्सिडी कार्यक्रम के क्रियान्वयन का तरीका आवंटित राशि तथा कार्यक्रम के लाभार्थी का ब्यौरा सहित।	रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार कार्मिक विभाग द्वारा निपटाया जाता है।
4 (1) (बी)(xii)	प्राप्तकर्ताओं का विवरण रियायतें, परमिट या इसके द्वारा दिए गए प्राधिकरण।	रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार वाणिज्य विभाग द्वारा निपटाया जाता है।
4 (1) (बी)(xiii)	उपलब्ध जानकारी के संबंध में विवरण या उसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित किया गया।	पश्चिम रेलवे वेबसाइट के लिये यहाँ क्लिक करें। <a href="https://wr.indianrailways.gov.in/?lang=1">https://wr.indianrailways.gov.in/?lang=1</a>
4 (1) (बी)(xiv)	नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने के लिए	पश्चिम रेलवे वेबसाइट के लिये यहाँ क्लिक करें। <a href="https://wr.indianrailways.gov.in/?lang=1">https://wr.indianrailways.gov.in/?lang=1</a>

	उपलब्ध सुविधाओं का विवरण जिसमें पुस्तकालय कार्य के घंटे भी शामिल हैं या वाचनालय, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए रखा गया है।	
4 (1) (बी)(xv)	जन सूचना अधिकारी का नाम पदनाम और अन्य विवरण।	श्री राम सिंह, राजभाषा अधिकारी एवं सहायक कार्मिक अधिकारी-॥
4 (1) (बी)(xvi)	ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित होतथा उसके बाद ये प्रकाशन हर साल अद्यतन होते हैं।	पश्चिम रेलवे वेबसाइट के लिये यहाँ क्लिक करें। <a href="https://wr.indianrailways.gov.in/?lang=1">https://wr.indianrailways.gov.in/?lang=1</a>

## राजभाषा विभाग-भावनगर मंडल (पश्चिम रेलवे)

### संगठन चार्ट



क्रम सं.	अधिकारी का नाम	रेलवे फोन नंबर
1	अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक	<b>44016</b>
2	राजभाषा अधिकारी एवं सकाधि-॥	<b>44012</b>
3	वरिष्ठ अनुवादक	<b>44012</b>

4	कार्यालय अधीक्षक	<b>44012</b>